प्रेस सूचना

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए प्रशिक्षु (संशोधित) अधिनियम-1973 एवं 1986 के तहत निम्नलिखित विषय में प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी जिसके लिए निम्नलिखित सीटों के आबंटन के अनुसार, संबंधित अभियांत्रिकी विषय में स्नातक/डिप्लोमा धारक स्थानीय बेरोजगार योग्य उम्मीद्वारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है :-

अनुबंध किए जाने वाले अभियंता प्रशिक्षु का विषय क्षेत्र	अनुबंध किए जाने वाले अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी स्नातक प्रशिक्षु की संख्या	अनुबंध किए जाने वाले अभियांत्रिकी डिप्लोमाधारक (तकनीकीयन) प्रशिक्षु की संख्या
सिविल अभियांत्रिकी	04	06
विद्युत अभियांत्रिकी	02	03
यांत्रिकी अभियांत्रिकी	02	03
कुल	08	12

संक्षेप में यह योजना प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1973 व 1986 के प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में संभावित विचार करता है ।

(क) **पात्रता की विस्तृत शर्ते :**

i) उम्मीद्वार जो उपरोक्त किसी भी विषय में स्नातक/डिप्लोमा है, प्रशिक्षु प्रशिक्षण पर अनुबंध के लिए योग्य है ।

ii) उम्मीद्वार जो इस योजना के अन्तर्गत पहले से ही प्रशिक्षित है या एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए नौकरी/सेवा का अनुभव रखता हो, वह वर्तमान नियम की शर्तो के अनुसार योग्य नहीं है ।

iii) उम्मीद्वार जो इस अधिनियम/भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में गया हो, तथा जिनके मामले में किसी भी कारण से प्रशिक्षुता अनुबंध समाप्त कर दिया गया हो, वह योग्य नहीं होगा ।

iv) उम्मीद्वार, अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् 01 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर इस योजना में अपना नामांकन/पंजीकरण करा सकता है ।

(ख) **प्रशिक्षण की अवधि :**

i) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा यह 2013-14 से आरंभ होगी ।

ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी अण्डमान लोक निर्माण विभाग के परिमण्डल/मण्डल से संबद्ध रहेगा तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा ।

(ग) <u>वृत्तिका की दर</u> :

i) स्नातक धारक - 3560रु. प्रति माह
ii) डिप्लोमा धारक - 2070रु. प्रति माह

अण्डमान लोक निर्माण विभाग में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीद्वार प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम 1973 एवं 1986 के प्रावधान द्वारा निर्देशित होगा तथा उन्हें प्रशिक्षण एवं विभाग बोर्ड के साथ प्रशिक्षु प्रशिक्षण अनुबंध करना होगा ।

इस विभाग द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, उनके द्वारा उक्त प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन इस विभाग (अ०लो०नि०वि०) में रोजगार के लिए किसी भी कारण से, दावे के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं करता ।

योग्य एवं इच्छुक स्थानीय उम्मीद्वार सादे कागज में, प्रत्येक प्रासंगिक प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति जैसे : शैक्षिक अर्हता (दसवीं कक्षा से आगे तक), प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, आयु प्रमाण, स्थानीय प्रमाणपत्र, रोजगार पंजीकरण कार्ड तथा अन्य शंसापत्र सहित पूर्ण जीवनवृत्त भरकर आवेदन कर सकता है । आवेदन <u>दिनांक 04.12.2014</u> तक मुख्य अभियंता के अभियंता अधिकारी, अण्डमान लोक निर्माण विभाग, पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए ।

अधूरे एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

20/11/14

मुख्य अभियंता के अभियंता अधिकारी

PRESS NOTE

It is notified for the information of all concerned that Andaman Public Works Department under Andaman and Nicobar Administration will be imparting Training under the APPRENTICES (AMENDMENT) ACT-1973 & 1986 in the following disciplines for the year 2014-15 for which APPLICATION are invited from the LOCAL UNEMPLOYED eligible candidates possessing DEGREE/DIPLOMA in respective Engineering subject, as per the allocation of SEAT made here-under:-

Subject field of Engineer apprentices to be engaged	No. of Engg. Tech. Graduate Apprentices to be engaged	No. of Engg. Diploma holders (Technician) Apprentices to be engaged
Civil Engineering	04	06
Electrical Engg.	02	03
Mechanical Engg.	02	03
Total	08	12

The SCHEME in a nut-shell envisages implementation of the Provisions of Apprentices (Amendment) Act, 1973 and 1986.

(a) **DETAILED CONDITIONS OF ELIGIBILITY**:

i. A candidates, who possess Degree/Diploma in any of the above Disciplines are eligible for engagement on Apprentices Training;

ii. A Candidates, who had already been trained under this Scheme or having with job experience for a period of 1(One) year or more is not eligible in terms of the Rules in existence;

iii. The Candidates, who has already undergone Apprenticeship Training under this Act/Government of India's Scheme, and in whose case the contract of Apprenticeship was terminated for any reason thereof and what so-ever shall not be eligible.

iv. The Candidates could get himself/herself enrolled/registered with this Scheme within a specified period of 01(One) year after passing the qualifying examination.

(b) **PERIOD OF TRAINING**:

i. The Apprenticeship Training will be for a period of 01 (one) year for the Session 2014-15.

ii. During the period under Apprenticeship Training, the Trainee will be attached to the Circle/Division of Andaman PWD and will be under the Administrative Control of concerned Superintending Engineer.

(c) **RATE OF STIPEND**:

i. Degree holder Rs.3560/- per month

ii. Diploma holder Rs.2070/- per month

Selected candidates for Apprenticeship Training in Andaman Public Works Department will be guided by the Provisions of Apprentice (Amendment) Act, 1973 & 1986 and they will have to enter into an Apprentices Training contract with the Board of Training & Department.

Contd...2/-

Providing the Apprenticeship Training by this Department does not confer and mean any guarantee for claming by a reason or so for employment in the Department(APWD) under Andaman and Nicobar Administration after his/her completion of the said Training in principle.

The eligible and willing local candidates, may apply on a plain paper by furnishing the full biodata alongwith attested copy of each relevant certificate; viz. Educational Qualification (right from 10th standard) Mark-sheet of each year, proof of age, local certificate, employment registration card and other testimonials. The Application should reach the office of the E.O. to Chief Engineer, Andaman Public Works Department, Port Blair latest by **04-12-2014.**

The applications received in incomplete shape and after the last day of receipt specified above shall not be entertained.

25/11/14

Engineer Officer
To Chief Engineer
APWD